*प्रेस नोट जनपद बदायूं दिनांक 08-10-2024

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या करने वाले 02 अभि0गण को मा0 न्यायालय एडीजे-07 कोर्ट, बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 20000-20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना अलापुर पर मु0अ0सं0 79/2022 धारा 302 भादवि व मु0अ0सं0 80/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1- मौज्जमुद्दीन 2- मुजीब पुत्र तहरुद्दीन निवासी गण गौरामई थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक निरीक्षक संजय कुमार सिंह द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एडीजे-07 कोर्ट बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतीश कुमार अलापुर द्वारा मा0 न्यायालय एडीजे-07 कोर्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 08-10-2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-07 कोर्ट बदायूँ द्वारा अभि0 मौज्जमुद्दीन,मुजीब उपरोक्त को आरोप धारा 302 भादवि संगठित धारा 34 भादवि में कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास से दंडित किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को 20000-20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व अभियुक्त मौज्जमुद्दीन को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 सतीश कुमार थाना अलापुर तथा लोक अभियोजक श्री मदनलाल राजपूत व विवेचक नि0 श्री संजय कुमार सिंह का योगदान सराहनीय रहा।